



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा.11029-3/2018-केवीएस(प्रशासन. I)Vol-II

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in

दिनांक: 06.09.2019

कार्यालय आदेश


केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 08.03.2019 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी। केन्द्रीय विद्यालय रेलवे कॉलोनी बांदीकुई, जिला-दौसा (राजस्थान) उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का आधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है:-

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	केन्द्रीय विद्यालय रेलवे कॉलोनी बांदीकुई, जिला-दौसा (राजस्थान)	केन्द्रीय विद्यालय रेलवे कॉलोनी बांदीकुई C/o रेलवे उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर द्वितीय भवन, रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के पास, बांदीकुई - 303313 तहसील - बसवा, जिला दौसा (राजस्थान)

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2019-20 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।


(डा शची कान्त)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:

- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
- सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म. एवं डिप्टी चैयरमैन के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.
- संयुक्त सचिव (प्रा. शिक्षा) मा.सं.वि.म. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
- आयुक्त, के.वि.सं के निजी सचिव।
- अपर आयुक्त (प्रशा./शै.) के.वि.सं के निजी सचिव।
- संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण.) के.वि.सं को इस अनुरोध के साथ की वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति

आदेश जारी करें।

7. उपायुक्त, केविसं क्षे. का. जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के .वि .को संचालित करें। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय को भेजें।
8. डिवीजनल इंजीनियर (पूर्व), जयपुर डिवीजन, एन.डब्ल्यू.आर, जयपुर (राजस्थान) को सूचनार्थ ।
9. अधीक्षण अभियंता केविसं को उनके कार्यालय टिप्पणी फ. स. 110111/463/2019-केवीएस(मु.) कार्य दिनांक 05/09/2019 के संदर्भ में।
10. सचिव सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92
11. सहायक आयुक्त (स्था. I/ स्था. II & III) के.वि.सं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ की तैनाती करे।
12. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
13. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
14. निदेशक, के.वि.सं .समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
15. उपायुक्त ई.डी.पी. को के.वि.स. की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
16. अध्यक्ष/सचिव के.वि.सं मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
17. गार्ड फ़ाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in

फा.11029-3/2018-केवीएस(प्रशा. I)Vol-II

दिनांक : 06.09.2019

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 08.03.2019 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी। केन्द्रीय विद्यालय एन. एफ. रेलवे, रंगापारा, जिला-सोनितपुर उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का आधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है:-

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	केन्द्रीय विद्यालय एन. एफ. रेलवे, रंगापारा, जिला-सोनितपुर	केन्द्रीय विद्यालय एन. एफ. रेलवे, रंगापारा, डाकघर-रंगापारा, थाना-रंगापारा, जिला-सोनितपुर, असम, पिन-784505

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2019-20 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

(डॉ शची कान्त)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:

- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।

2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म. एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.
3. संयुक्त सचिव (प्रा. शिक्षा) मा.सं.वि.म. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (प्रशा./शै.) केविसं के निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण.) केविसं को इस अनुरोध के साथ की वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
7. उपायुक्त, केविसं क्षे. का. गुवाहाटी को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के वि.को संचालित करें। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय को भेजें।
8. वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (समन्वय), पू. सी. रेल/रंगिया, जिला-कामरूप (असम) को सूचनार्थ ।
9. अधीक्षण अभियंता केविसं को उनके कार्यालय टिप्पणी फ. स. 110111/460/2019-केवीएस(मु.) कार्य दिनांक 05/09/2019 के संदर्भ में।
10. सचिव सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92
11. सहायक आयुक्त (स्था. II स्था. II & III) के.वि.सं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ की तैनाती करें।
12. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
13. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
14. निदेशक, के.वि.सं. समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
15. उपायुक्त ई.डी.पी. को के.वि.स. की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
16. अध्यक्ष/सचिव के.वि.सं मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
17. गार्ड फाइल।
